

संपादकौय

डिजिटल भारत और साइबर अपराध

भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य, व्यापार, सरकारी सेवाओं और व्यक्तिगत संवाद तक लगभग हर क्षेत्र इंटरनेट पर निभर हो चुका है। डिजिटल इंडिया अभियान ने करोड़ों लोगों को तकनीकी से जोड़ा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराधों का दायरा और जटिलता भी तेजी से बढ़ी है। हर दिन अंतराजाल उगी, बैंक खाते खाली होने, फर्जी निवेश योजनाओं, डिजिटल अरेस्ट, पहचान की चोरी, सोशल मीडिया हैकिंग और डेटा लोका जैसी घटनाएँ सामने आ रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे कानून और जांच एजेंसियाँ साइबर अपराधियों की गति वे साथ कदम मिला पा रही हैं, या अपराधी कानून से आगे निकल चुके हैं? डिजिटल क्रांति सुविधाएँ बढ़ाई हैं, लेकिन अपराधियों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले अपराधों किसी एक शहर या क्षेत्र तक सीमित होते थे, अब एक व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी राज्य के नागरिक को कुछ ही मिनटों में अपना शिकार बना सकता है। अपराधों नकली वेबसाइट, फर्जी मोबाइल ऐप, एआई आधारित आवाज की नकल, डीपफेक वीडियो और सोशल इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं। कामलों में पीड़ित को तब तक पता नहीं चलता, जब तक उसके खाते से लाखों रुपये गायब नहीं हो जाते। भारत में साइबर अपराधों के लिए एकान्ती ढाँचा मौजूद है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय संहिता के विभिन्न प्राधान डिजिटल अपराधों पर कार्रवाई की अनुमति देते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेलपलाइन 1930, ईडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और डिजिटल भुगतान सुरक्षा से जुड़े कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से हजारों मामलों में धराशायी फ्रॉज का पीड़ितों को राहत भी मिली है। फिर भी वास्तविक चुनौती यह है कि अपराधी तकनीक का इस्तेमाल कानून से कई अधिक तेजी से कर रहे हैं। कानून बनने और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में समय लगता है, जबकि साइबर अपराधी कुछ ही दिनों में नए तरीके विकसित कर लेते हैं। एआई ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। आज किसी को आवाज की नकल हबूब नकल कर फोन किया जा सकता है, किसी का नकली वीडियो तैयार किया जा सकता है और फर्जी पहचान बनाकर आर्थिक अपराध किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में कार्रवाई जाँच प्रणाली का बड़ा अपराध बन गया है। साइबर अपराध की एक बढ़ती समस्या इसकी अंतरराष्ट्रीय प्रकृति भी है। अनेक गिरोह भारत के बाहर से संचालित होते हैं उनके सर्वर दूसरे देशों में होते हैं और धन कई देशों के बैंक खातों या क्रिप्टोकॉर्सेसी के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। ऐसे मामलों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल साक्षरता और कानूनी प्रक्रियाएँ जाँच को लंबा और जटिल बना देती हैं। अपराधी इसी तरीका का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर नागरिकों में डिजिटल जागरूकता की कमी भी अपराधियों को सफलता का बड़ा कारक है। आज भी अनेक लोग अज्ञान लीक पर क्लिक कर देते हैं। ओटीपी साझा कर देते हैं, नकली निवेश योजनाओं के झांसे में आ जाते हैं या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक कर देते हैं। तकनीकी सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आवश्यक डिजिटल साक्षरता भी है। यदि नागरिक सतर्क हों तो बड़ी संख्या में साइबर अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही रोक जा सकता है। भारत को अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बहुस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले कानूनों को तकनीकी बदलावों के अनुसार लगातार अद्यतन करना होगा। एआई आधारित अपराधों डीपफेक, डेटा चोरी और क्रिप्टोकॉर्सेसी से जुड़े अपराधों के लिए स्पष्ट और प्रभावी कानूनी प्राधान का आवश्यक है। दूसरे, पुलिस और जांच एजेंसियों को आधुनिक डिजिटल फॉरेंसिक तकनीक, साइबर विशेषज्ञों और अत्याधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाना होगा। तीसरे, राज्यों के बीच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को आगे तेज करना होगा। बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान कंपनियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। संदिग्ध लेनदेन को तुरंत पहचान, मजबूत सत्यापन प्रणाली फर्जी खातों पर त्वरित कार्रवाई और उपयोगकर्ताओं को समय-समय पर सुरक्षा संबंधी चेतावनी देना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। निजी क्षेत्र और सरकार के बीच समन्वय जितना मजबूत होगा, साइबर अपराध पर नियंत्रण उतना ही प्रभावी होगा। शिक्षा व्यवस्था में भी डिजिटल सुरक्षा को शामिल करने का समय आ गया है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर साइबर सुरक्षा का बुनियादी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। जिस प्रकार सड़क सुरक्षा के नियम सिखाए जाते हैं, उसी प्रकार डिजिटल सुरक्षा के नियम भी नागरिक जीवन का हिस्सा बनने चाहिए। डिजिटल भारत की सफलता केवल इंटरनेट पहुँच बढ़ाने से नहीं मापी जाएगी, बल्कि इस बात से तय होगी कि नागरिक डिजिटल दुनिया में कितने सुरक्षित हैं। यदि कानून, तकनीक, प्रशासन और समाज मिलकर साइबर अपराध वे विकट मजबूत व्यवस्था विकसित नहीं करते, तो डिजिटल प्रगति का लाभ अपराधियों के अधिक मिलेगा और आम नागरिक असुरक्षित महसूस करेंगे।

राजीव शुक्ला - (संपादक)



मेघ-मेघ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त लाभ के संकेत हैं।

वृषभ-वृषभ राशि वालों के लिए आज परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाने का अवसर मिल सकता है। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी।

मिथुन-मिथुन राशि के जातकों के लिए
आज नए अवसरों का दिन है। व्यापार और
नौकरी में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने
का अवसर मिल सकता है। किसी नए
व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले पूरी
जानकारी अवश्य लें। अनावश्यक यात्राओं
से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

कर्क-कर्क राशि वालों के लिए संपत्ति और निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। यदि किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं तो सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी।

सिंह-सिंह राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में सम्मान और अधिकार मिल सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार आया और परिवार में किसी शुभ आयोजन की योजना बन सकती है।

कन्या-कन्या राशि वालों को आज गरिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की आवश्यकता होगी। कार्यस्थल पर वेरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें, लेकिन विवाद से बचें। भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा। यात्रा

करते समय आवश्यक सावधानी बरतें।

तुला-तुला राशि के लिए आज का दिन रचनात्मक कार्यों में सफलता दिलाने वाला हो सकता है। कला, साहित्य, शिक्षा और सृजनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सम्मान मिलने की संभावना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।

वृश्चिक-वृश्चिक राशि वालों को आसुरी संपत्ति और वित्तीय मामलों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। आध्यात्मिक गतिविधियों व और शुक्रांक बढ़ सकता है। धैर्य और संयम से लिया गया निर्णय आपके हित में रहेगा।

धनु-धनु राशि के जातकों के लिए आसुरी मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता की सराहना होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें।

मकर-मकर राशि वालों के लिए आकाश का दिन परिश्रम और उपलब्धियों व संतुलन लेकर आएगा। सामाजिक दायित्व बढ़ेगा और नए लोगों से संपर्क भविष्य लाभदायक साबित हो सकते हैं।

कुंभ-कुंभ राशि के जातकों के लिए
आज ज्ञान और अनुभव का लाभ मिलेगा।
आपकी सलाह से दूसरे लोग प्रभावित
सकते हैं। शिक्षा, प्रबंधन और प्रशासन
जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

मीन-मीन राशि वालों को आज क्रियाशील बनने के लिए साधन मिलने के संकेत हैं। लंबी दूरी की यात्रा या मिलने के संकेत हैं। लंबी दूरी की यात्रा या मिलने के संकेत हैं। यदि टाली जा सके तो बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलित निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी साबित होंगे।

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से गरीबों को मिल रहा पक्का आशियाना



(आदर अदीब पावेल बन्धु)
जिला सूचना अधिकारी

मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आवासहीन एवं कच्चे मकानों में निवास कर रहे परिवारों को पक्का और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। आवास केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार भी होता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना घर होना आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जो किसी कारणवश अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं ले सके। ग्रामीण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहे हैं, जिनमें वर्षों से कच्चे मकानों, झोपड़ियों अथवा अस्थायी आश्रयों में जीवन यापन करते आए हैं। बरसात, गर्मी, सर्दी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इन परिवारों का जीवन अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कच्चे घरों की असुरक्षा के कारण महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का जीवन विशेष रूप से प्रभावित होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीबों के जीवन में सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान

लाने की दिशा में एक प्रभावी पहल के रूप में सामने आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना है, जो आवासहीन हैं या जर्जर एवं कच्चे मकानों में रहे रहें हैं। साथ ही, ऐसे पात्र परिवार जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या अन्य योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें इस योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। सरकार की मंशा है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे और प्रत्येक जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास मिल सके। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पक्का मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता चरणबद्ध तरीके से किस्तों में दी जाती है, जिससे निर्माण कार्य सुचारु रूप से पूरा हो सके। आमतौर पर प्रथम किस्त निर्माण प्रारंभ करने हेतु, द्वितीय किस्त निर्माण की प्रगति के आधार पर तथा अंतिम किस्त निर्माण पूर्ण होने पर दी जाती है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जाता है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में आवास निर्माण में ही हो। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) विशेष रूप से गरीब, असहाय, वरिष्ठ, निराश्रित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, महिला मुखिया परिवारों तथा अन्य जरूरतमंद वर्गों को प्राथमिकता देती है। योजना में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की भावना निहित है, जिससे समाज के अतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे लाभार्थियों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान की जाती है और स्थानीय प्रशासन द्वारा सत्यापन के बाद लाभार्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक

सिंघित नहीं है, बल्कि ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। पक्क घर मिलने से गरीब परिवारों को सुरक्षित वातावरण मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर पाते हैं, महिला सुरक्षित महसूस करती हैं और बुजुर्गों को आरामदायक जीवन मिलता है। पक्क आवास गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सम्मान का भी आधार बनता है। पहले जे परिवार झोपड़ी या जर्जर कच्चे घरों में रहते थे, उन्हें समाज में अक्सर उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। लेकिन अपना पक्का घर बनाने के बाद उनका आत्मविश्वास बढ़ा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी मजबूत होती है। यह योजना गरीबों के जीवन में केवल भौतिक परिवर्तन नहीं लाती, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक बदलाव लाती है। मुख्यतः आवास योजना (ग्रामीण) महिलाओं के सशक्तिकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई मामलों में आवास महिला के नाम या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर संपीकृत किए जाते हैं, जिससे महिलाओं में स्त्रीकृत अधिकार मिलता है। इस महिलाओं की सामाजिक स्थिति मजबूत होती है और परिवार में उनकी निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। यह पहले महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पक्के घरों में स्वच्छ वातावरण, बेहतर वेंटिलेशन और सुरक्षित संरचना होने से वातावरण बीमारियों का खतरा कम होता है। साथ ही स्वच्छता से जुड़े अन्य प्रयासों का भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सुधार में भी सहायक सिद्ध हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। निर्माण कार्य में मजदूरों, राजमिस्त्रियों, कारीगरों और

निर्माण सामग्री की मांग बढ़ती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार यह योजना रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योगदान देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रही है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को आवास सुविधा उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीनता समाप्त हो। इस दिशा में निरंतर कार्य करते हुए बजट संख्या में लाभार्थियों को इस योजना के तहत दिया गया है। योजना के माध्यम से हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराकर उनके जीवन में बदलाव लाया गया है। इससे न केवल उनकी रहने की स्थिति सुधरी है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है। यह योजना ग्रामीण विकास और समग्र प्रगति की दिशा में एक प्रभूत्वपूर्ण कदम रहा है। हालांकि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे पात्र लाभार्थियों की रजिस्ट्रेशन, निर्माण कार्य की समयबद्धता, पड़ोसी क्षेत्रों तक पहुँच और जागरूकता का अभाव। लेकिन सरकार इन चुनौतियों को निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तकनीकी साधनों, निगरानी तंत्र और प्रशासनिक सक्रियता के माध्यम से योजना को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बढ़त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) वास्तव में गरीबों के लिए सम्मानजनक जीवन की नींव रखने वाली योजना है। यह केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना का प्रतीक है। जबकि गरीब परिवार को अपना पक्का घर मिलेगा है, तो वह केवल दीवारों और छत नहीं होगा बल्कि एक सुरक्षित भविष्य, नई आशा और आत्मसन्तुष्टि का आधार बनती है। ग्रामीण विकास के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह योजना

आवास केवल रहने का साधन नहीं, बल्कि समान, सुरक्षा और बेहतर जीवन का आधार भी होता है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए अपना घर होना आत्मनिर्भरता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से उन पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, जो किसी कारणवश अन्य आवासीय योजनाओं का लाभ नहीं ले सके।

अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवासीय सुरक्षा मिलने के बाद गरीब परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ने में सक्षम होंगे हैं। इससे आत्मनिर्भरता, ग्रामीण समाज के निर्माण को बल मिलेगा है। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की उस सोच को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें विकास का लाभ समाज के अतिम व्यक्तित्व तक पहुंचाने का संकल्प निहित है। यह योजना गरीबों के सपनों को साकार करने, सामाजिक असमानता को दूर करने और समृद्ध ग्रामीण उत्तर प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीबों के जीवन में आशा, सुरक्षा और सम्मान का संचार करने वाली एक प्रभावशाली योजना है। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के समग्र विकास की आधारशिला है। आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से और अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित कर 'हर गरीब को आवास के लक्ष्य को और अधिक मजबूती प्रदान साकार किया जा सकेगा।

जनपद गाजियाबाद में अंत्योदय और समावेशी विकास से साकार होता दिव्यांगजन सशक्तिकरण

प्रदेश सरकार के सर्वांगीण और समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वर्गों विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण और कार्य के दिशा में एक ऐतिहासिक महल की गई है। 'सहानुभूति नहीं, अधिकार एवं असर' के प्रगतिशील विचार को अपनाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसे विभागा-मुक्त और सुगम वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ प्रत्येक वित्तीय नागरिक गरिमा, स्वाभिमान और पूर्ण आत्मनिर्भरता के साथ समाज की मुख्यधारा में अपना योगदान दे सके। इस दिशा में प्रदेश सरकार को लोक प्रशासनिक प्रथाओं और पारदर्शक प्रशासनिक तंत्र के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी संकल्पना को साकार करते हुए जनपद गाजियाबाद ने 'सबका साथ, सबका विकास और अत्योद्य' के मूलभूत मंत्र को अपनाते हुए वित्तीय अक्षरता के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिला प्रशासन के निरंतर प्रयासों से परंपरागत दयाभाव की अनुप्राणन को पीछे छोड़ते हुए वित्तीयजनों की पूर्ण आत्मसमन्वय और स्वावलंबन युक्त जीवन प्रदान करने का एक सुदृढ़ मार्ग आकार ले चुका है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में लागू की गई इस रणनीतिक कार्ययोजना के अंतर्गत आधुनिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन और सहयोगी संस्थाओं के परस्पर समन्वय से अब तक जनपद में दस हजार से

अधिक दिव्यांगजनों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड और प्रामाणिक दिव्यांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। पारदर्शी व्यवस्था और त्वरित क्रियान्वयन के चलते जिले के दूरस्थ क्षेत्रों तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच अत्यंत सुगम बन गई है। प्रदेश सरकार को सबसे व्यापक सामाजिक सुरक्षा पल्ले के अंतर्गत दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के माध्यम से पात्र नागरिकों को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विचौलियों की भूमिका को पूरी तरह समाप्त करने के लिए यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा रही है। इस आर्थिक संबल से जनपद के हजारों लाभार्थी अपने दैनिक जीवन-यापन को सुगमता से संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुष्ठ रोग से मुक्त हुए किन्तु दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति विशेष मानवीय संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें भी एक सम्मानजनक उच्चकुष्ठ पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इस विशेष आर्थिक सहायता को मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का समाज में उचित पुनर्वास सुनिश्चित करना और उन्हें एक गरिमामय जीवन-यापन का अधिकार प्रदान करना है। आर्थिक सहायता के अतिरिक्त दिव्यांगजनों की भौतिक सुगमता और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सहायक उपकरण योजना अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन एवं वितरण शिविरों के माध्यम से मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, वॉकर, श्रवण यंत्र और दृष्टिबाधितों के लिए आधुनिक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध

कराए जा रहे हैं। इन उपकरणों के विवरण में दिव्यांगजनों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने पर सरल और सुलभ बना दिया है। आधुनिक तकनीकी से लैस उपकरणों की उपयोगिताओं से जनपद गाँजाबादक के दिव्यांग युवाओं को विशेषविद्यार्थियों और छोटे व्यापारियों की अपरिहार्यस्थल एवं शिक्षण संस्थाओं तक पहुँचने में सुगम हुई है, जिससे उनकी उत्पादकता में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसके साथ ही, प्रदेश सरकार के परिवहन निगम का बसों में दिव्यांगजनों एवं उनके परिवार सदस्यों के लिए निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने से उनकी गतिशीलता को अभूतपूर्व विस्तार प्रदान किया है। शिक्षा और कौशल विकास कम सार्वजनिकता का मूलभूत मानते हुए प्रदेश सरकार ने दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्र-छात्राओं की एक सुदृढ़ व्यवस्था लागू कर दी है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही हैं। जनपद गाँजाबाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित की गई है। विशिष्ट शिक्षण केंद्रों व माध्यम से श्रवण, वाक एवं अन्य शारीरिक अक्षमताओं से प्रभावित बच्चों के गुणवत्तापूर्ण सामान्य शिक्षा के साथ-साथ वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित स्पीड ट्रेनिंग, कंप्यूटर साहारा और डिजिटल कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्धन हेतु विशेष सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। इस समर्पित प्रयासों के फलस्वरूप जिले में विद्यमान बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के अवसरों पर प्रतिभाग कर निर्भर पदवी प्राप्त अनर्जित कर रहे हैं दिव्यांगजनों

के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और आजीविका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनगणजाजिबाद में बहुआयामी स्त्रोजगार रोजगार मॉडल लाू कए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से तैयार की सचल व्वावसायिक इकाइयों के माध्यम दिव्यांग उद्यमियों को स्थानीय स्तर व्यापार संचालित करने के सुरक्षित अवसर प्रदान कर आजीवा है। यह कदम उठे संतरी पर आजीविका से जोड़ने में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रहा है। इसके साथ जिला प्रशासन द्वारा निजी प्रतिष्ठानों अ प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के समन्वय स्थापित कर दिव्यांग युवाओं को लघु एवं कौशल के अनुसार उद्योगाजजनक नौकरियों में समायोजित कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार की सुव्यवस्था सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने रियायती ब्याज दरों पर ऋण तथा अनुसूची उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगारोन्मुख प्रयासों से सैकड़ों दिव्यांग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवारों के मुख्य सबल के रूप में उभरे दिव्यांगजनों के समाजिक एकीकरण और पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने के ध्येय से लागू शाली प्रोत्साहन पुरस्कार योजना प्रदेश सरकार की विशिष्ट और संवेदनशील पहल है। इस तहत विवाह करने पर सरकार की ओर प्रोत्साहन धनराशि सिधे बैंक खाते में प्रदान की जा रही है। यह योजना दिव्यांगजनों प्रति व्वावसाय समाजिक धातियों अ उपेक्षात्मक सोच को समाप्त करने में पमिल का पथर साबित हुई आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा अनुदान निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया रहा है। सार्वजनिक सुविधाओं

निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के स्तर पर एक संवेदनशील एवं जवाबदेह पैरवी तंत्र कार्यरत है। परिवहन एवं रेल यात्रा रियायत पत्रों के निर्गमन और विभागीय बाधाओं के त्वरित निवारण हेतु जनपद गाजियाबाद में नियमित अंतराल पर सुगम समाधान शिविरों का आयोजन किया जाता है। प्रदेश सरकार व अभियानों के तहत सौ भी प्रमुख प्रशासकीय भवनों, न्यायालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बस अड्डों को रैंक तथा अन्य सुविधाओं के माध्यम से पूर्णतः बाधारहित बनाया जा रहा है। जनपद गाजियाबाद में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में प्राप्त इस असाधारण सफलता को मुख्य आधार जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, तत्परता और निरंतर अनुश्रवण रहा है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शन नीतियों का सुचारु क्रिया-व्यवस्था सह स्पष्ट करता है कि यदि दिव्यांगजनों को उच्च अवसर और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो वे किसी पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्र निर्माण के सशक्त स्तंभ बन सकते हैं। भविष्य की कार्ययोजनाओं को रेखांकित करते हुए जनपद गाजियाबाद शिक्षा का आधुनिकीकरण, उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टार्टअप सहयोगिता तथा पूर्णतया बाधारहित अवसरंचना के निर्माण की दिशा में प्रयास और भी तेज किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की यह दृढ़ प्रतिबद्धता है कि आगामी समय में आधुनिक तकनीक और नवाचारों का बहुआयाम उपयोग कर प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन को सशक्त, सक्षम और स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे समावेशी विकास और उन्नत राष्ट्र की संकल्पना को निरंतर ताज़ा मिल सके।

**यूतनाधिकी जनपद गाजियाबाद/
डॉ० सीमा गुप्ता (80610 884010)**

प्रोसेस्ड भोजन और सुस्त जीवनशैली बढ़ रहे स्वास्थ्य संकट: विशेषज्ञ

बदलाती खान-पान का आदत, प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन और शारीरिक गतिविधियों में कम लगाना कमी भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बनती चली गयी है। जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं एंजाइमी हॉस्पिटल के सेंटर फॉर ओरोसेप्टी डॉ. मेटाबोलिक थैरेपी के निदेशक डॉ. राकेश कलापाता ने चेतावनी दी है कि मोटापे को केवल बढ़ते वजन के रूप में नहीं, बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली जटिल मेटाबोलिक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आईएनएस को दिया एक विशेष साक्षात्कार में डॉ. कलापाता ने कहा कि आज के समय में अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन, रिफाईंड शुगर, अधिक कार्बोहाइड्रेट और खराब वसा से भरपूर खाद्य पदार्थ तेजी से लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं। यही कारण है कि मोटापा, फैटी लिवर, मधुमेह



और अन्य मेटाबोलिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रोसेस्ड फूड भूख और खाने की इच्छा को और बढ़ा देता है, क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। वसं में प्रोटीन की कमी और अस्वास्थ्यकर वसा की अधिक मात्रा शरीर के मेटाबोलिज्म पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। डॉ. कलापाल ने कहा कि आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी फैटी लिवर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जो न तो शराब का सेवन करते हैं और न ही

मासाहार करते हैं। इसके पा
बदलती जीवनशैली, तनाव और
असंतुलित खान-पान प्रमुख
कारण हैं। उन्होंने बताया कि फैट
लिवर लंबे समय तक बिना
किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में
विकसित होता रहता है।
अधिकतर मामलों में इसका प
अल्ट्रासाउंड या लिवर फंक्शन टेस्ट के
दौरान चलता है। जब तक बीमारी साम
आती है, तब तक लिवर को काफी नुकसा
पहुँच चुका होता है। विशेषज्ञ के अनुसार
अत्यधिक मानसिक तनाव और घंटों त
बैठे रहने की आदत भी मेटाबोलि
बीमारियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कह
कि तनाव के कारण लोग अधिक भोज
करने लगते हैं, जिस शारीरिक गतिविधिय
कम हो जाती हैं, जिससे मोटापा और उस
जुड़ी बीमारियों का खतरा कई गुना ब

जाता है। उन्होंने सलाह दी कि हर 30 से मिनट के बीच काम से कम एक-दो मिनट तक दहलना चाहिए, ताकि लंबे समय में बैठे रहने के दुष्प्रभाव कम किए जा सकें। डॉ. कलापाला ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमएआर) आ राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएसएस) के आंकड़ों का हवाला देकर कहा कि देश में बच्चों में मोटापे की 15 से 18 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। उन्होंने बताया कि कई मामलों में ही मोटापे शुरूआत गर्भावस्था के दौरान ही होती है। यह गर्भवती महिला का वजन अधिक बढ़ जाता है, जो बच्चे के विकास को प्रभावित है, तो उसका प्रसव बच्चे पर भी पड़ता है। इसके अलावा पढ़ाई का बढ़ता दबाव खेलकूद को कमी और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता भी बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभावित कर रही है। डॉ. कलापाला ने गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स डिजॉर्डर

(जोड़आँखों) के लिए। बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक एंटासिड दवाओं के सेवन पर भी चिन्ता जताई। उन्होंने कहा कि इन दवाओं का अनियंत्रित उपयोग हड्डियों और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है तथा कुछ शोषों में इसे पेट में कैन्सर के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पेट से जुड़ी समस्याओं को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और तब तक इलाज नहीं कराते, जब तक गंभीर लक्षण सामने नहीं आ जाते। इससे कोलोन गैंग्लीय, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैन्सर और अन्य गंभीर बीमारियां का खतरा बढ़ सकता है। डॉ. कलापाला ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अधिक वजन घटाना जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने कुल वजन के केवल 10 प्रतिशत भी कम कर लेता है, तो इससे उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।



